राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	12/2016 सुरजनसिंह / अनिल चौधरी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/2/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश बाबत प्रार्थना पत्र न्यायालय अवमानना प्रस्तुत हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अवमानना इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के पिता द्वारा अपील सहायक कलक्टर आमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29/3/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसमे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03/5/2016 को उभयपक्षो को सुनने के पश्चात अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार जारी की गई थी कि अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने तक उभयपक्षो को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे प्रश्नगत आराजी भूमि ख.न. 426, 427, 440, 441, 442, 444 कुल किता 6 कुल रकबा 10.68 हैक्टयर का किसी प्रकार से हस्तान्तरण अन्य किसी व्यक्ति को नही करे तथा मौके व कागजात रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र में आगे अंकित किया गया कि उक्त आदेश की अवधि प्रत्येक तारीख पेशी पर आगे बढाई जाती रही, किन्तु अप्रार्थी संख्या-1 ने माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की अवहेलना करते हुये अपील में वर्णित खसरात भूमि मे 1/06 हिस्से का बेचान गोपाल शर्मा पुत्र भूराराम	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/2016	सुरजनसिंह / सुशील चौधरी 2	

शर्मा को दिनांक 14/7/16 को उपपंजीयक तृतीय के समक्ष विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय के आदेशो की अवहेलना की गई है, जिससे इसके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही कर 6 माह के कठोर सिविल कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश फरमाया जावे। भूमि की पूर्व स्थिति बहाल की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमे आदेश दिनांक 03/5/16 को अंतरिम आदेश निषेधाज्ञा पारित किया गया, जिसकी मियाद दिनांक 16/5/16, 20/5/16 तक बढाई गयी किन्तु उसके पश्चात न्यायालय की आदेशिकाओं में उक्त आदेश की मियाद आगे बढाया जाना सिद्ध नही होता एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत बेचान नामे से बेचान दिनांक 14/7/2016 को किया जाना जाहिर है किन्तु दिनांक 16/7/2016 को किसी आदेशिका में उक्त स्थगन आदेश की अवधि बढाई हुई नही है जिससे यह ही माना जावेगा की रजिस्ट्री की दिनांक पर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश जाहिर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुरजनसिंह / अनिल चौधरी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/2016	3	

तौर पर विद्यमान नही था। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरुद्ध कोई अवमानना की स्थिति नही बनती।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर याची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 12/2016 बाबत् अवमानना खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल अपील रहे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर